रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2857] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 2017/आश्विन 17, 1939
No. 2857] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2017/ASVINA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3266(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, कम करने तथा नियंत्रित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिस इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है), का गठन करती है, अर्थात् :—

1.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
2.	तटीय विनियमन जोन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सम्बन्धित विशेष सचिव या अपर सचिव,	सदस्य, पदेन
3.	सदस्य, सचिव, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण	सदस्य, पदेन
4.	संयुक्त सचिव (पर्यटन) या निदेशक (पर्यटन), पर्यटन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
5.	उप-महानिदेशक (मत्स्य) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक, राष्ट्रीय पोषणीय तटीय प्रबंध केन्द्र, चेन्नई	सदस्य
7.	डॉ. शैलेश नाइक, सचिव (सेवानिवृत्त) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
8.	डॉ. टी.पी. सिंह, सलाहकार, एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार	सदस्य
9.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य पदेन
10.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
11.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार	सदस्य, पदेन

12.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार	सदस्य, पदेन
13.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), कर्नाटक सरकार	सदस्य, पदेन
14.	प्रधास सचिव (पर्यावरण), केरल सरकार	सदस्य, पदेन
15.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
16.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), ओडिसा सरकार	सदस्य, पदेन
17.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य, पदेन
18.	तटीय संघ राज्यक्षेत्रों से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (संघ राज्यक्षेत्र), गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
19.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
20.	संयुक्त सचिव/सलाहकार/वैज्ञानिक जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
21.	संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
22.	तटीय विनियमन जोन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य-सचिव, पदेन

2. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी और यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बैठक की जाएगी ।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(i) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्रवाइयों का समन्वय करेगा ;

(ii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजनाओं के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित हों, के उपबंधों के उल्लंघनों के मामलों का स्वःप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करेगा और जहां यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा ;

(iv) उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा ;

(v) उसके समक्ष उद्भूत मुद्दों से सम्बन्धित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ;

(vi) प्राधिकरण, सम्बन्धित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकारों या प्रशासनों, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं या संगठनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से सम्बन्धित विषयों में, जैसा आवश्यक पाया जाए, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा ;

(vii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा दिए गए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ;

(viii) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन प्रबंध से सम्बन्धित विषयों में नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केन्द्रों की स्थापना तथा वित्तपोषण पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा ;

(ix) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से सम्बन्धित ऐसे सभी पर्यावरणीय विवाद्यकों के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(x) प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से सम्बन्धित सूचना का माध्य और राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के प्रदर्शन के लिए उपबंध करेगा ;

(xi) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ;

(xii) प्राधिकरण, जहां कहीं अपेक्षित हो, अपनी बैठक के दौरान किसी अन्य विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ;

(xiii) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आई.ए.III]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

S.O. 3266(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, hereby constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

(1)	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Chairman, ex officio
(2)	Special Secretary or Additional Secretary dealing with Coastal Regulation Zone, Ministry of Environment, Forest and Climate Change,	Member, ex-officio
(3)	Member Secretary, Central Ground Water Authority	Member, ex-officio
(4)	Joint Secretary (Tourism) or Director (Tourism), Ministry of Tourism	Member, ex-officio
(5)	Deputy Director General (Fisheries), ICAR, M/o Agriculture and Farmers Welfare	Member, ex-officio
(6)	Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai	Member, ex-officio
(7)	Dr. Shailesh Naik, Secretary (Retd.), Ministry of Earth Sciences, New Delhi	Member
(8)	Dr. T.P. Singh, Adviser, MEITY, Government of India	Member
(9)	Principal Secretary (Environment), Government of Andhra Pradesh	Member, ex-officio
(10)	Principal Secretary (Environment), Government of Tamil Nadu	Member, ex-officio
(11)	Principal Secretary (Environment), Government of Gujarat	Member, ex-officio
(12)	Principal Secretary (Environment), Government of Goa	Member, ex-officio
(13)	Principal Secretary (Environment), Government of Karnataka	Member, ex-officio
(14)	Principal Secretary (Environment), Government of Kerala	Member, ex-officio
(15)	Principal Secretary (Environment), Government of Maharashtra	Member, ex-officio
(16)	Principal Secretary (Environment), Government of Odisha	Member, ex-officio
(17)	Principal Secretary (Environment), Government of West Bengal	Member, ex-officio

(18)	Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, Government of India, dealing with coastal Union Territories	Member, ex-officio
(19)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India	Member, ex-officio
(20)	Joint Secretary/Adviser/Scientist-G, M/o Earth Sciences, Government of India	Member, ex-officio
(21)	Joint Secretary, Ministry of Defence, Government of India	Member, ex-officio
(22)	Joint Secretary dealing with CRZ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member Secretary, ex-officio

2. The Authority shall have its headquarter at New Delhi.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be 10 members and in case the quorum is not available the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

4. The Authority shall exercise the following powers and functions, namely:—

(i) The Authority shall co-ordinate the actions of the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act.

(ii) The Authority shall examine the proposals for changes or modifications in the clarification of Coastal Zone Areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and make specific recommendations to the Central Government therefor.

(iii) The Authority shall hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act, either suo-motu, or on the basis of complaint made by an individual or body, or organisation, and wherever necessary, issue directions under section 5 of the said Act.

(iv) File complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it.

(v) To take such action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the cases before it.

(vi) The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in the matters relating to protection and improvement of the coastal environment.

(vii) The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities.

(viii) The Authority may advise the Central government on policy, planning, research and development, setting up of centres of excellence and funding, in matters relating to Coastal Regulation Zone Management.

(ix) The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

(x) The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through internet website www.envfor.nic.in.

(xi) The foregoing powers and functions of the Authorities shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

(xii) The Authority may, whenever required, invite any other expert as a member during its meeting.

(xiii) A member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

[F. No. J-17011/18/1996-IA.III]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.09 22:14:31 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.